[2021] 6 एस.सी.आर. 1100

जसवंत सिंह

बनाम

पंजाब राज्य और अन्य।

(आपराधिक अपील संख्या 1233/2021)

20 अक्टूबर, 2021

**[दिनेश माहेश्वरी और विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति]**

*दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - धारा 482 - उच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 406 और 420 के तहत प्राथमिकी से उत्पन्न आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया- औचित्य - अभिनिर्धारित: दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत शक्ति का प्रयोग किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने और न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए किया जाना है अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग किसी दिए गए और योग्य मामले में किया जाना चाहिए जहां न्यायालय का समाधान हो कि ऐसी शक्ति का प्रयोग या तो ऐसी शक्ति के दुरुपयोग को रोकेगा या इस तरह के प्रयोग के परिणामस्वरूप न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित किया जाएगा - वर्तमान मामले के तथ्यों से यह स्पष्ट है कि न्यायालय की प्रक्रिया का स्पष्ट दुरुपयोग किया गया था और आगे यह कि न्यायालय का कर्तव्य न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करना था - उच्च न्यायालय ने गलती की कि पहले तो अभिलेख पर संपूर्ण सामग्री पर विचार नहीं किया गया और आगे इस तथ्य की सराहना नहीं की गई कि विवाद, यदि कोई हो, तो दीवानी प्रकृति का था और शिकायतकर्ता ने पहले ही मुख्य अभियुक्त के साथ अपना मामला सुलझा लिया था, जिसके खिलाफ कार्यवाही बहुत पहले बंद कर दी गई थी - इस परिदृश्य में, अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध आक्षेपित कार्यवाही जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है - इस तरह की सभी कार्यवाही ने उन्हें-आईपीसी-धारा 406 और 420 को रद्द कर दिया।*

एस. डब्ल्यू. पलानीटकर और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य **(2002) 1 एस. सी. सी. 241: [2001] 4 सप्ल एस. सी. आर. 397;** पी. रामचंद्र राव बनाम कर्नाटक राज्य (2002) 4 एससीसी

578; ज्ञान सिंह बनाम पंजाब **राज्य (2012) 10 एससीसी 303: [2012] 8 एस. सी. आर. 753**; और परबतभाई अहीर उर्फ परबतभाई भीमसिंहभाई कर्मूर और अन्य बनाम राज्य गुजरात और अन्य, **(2017) 9 एससीसी 641: [2017] 10 एससीआर 1218-पर भरोसा किया।**

**<u>निर्णय विधि संदर्भ</u>**

| | | |
|---|---|---|
| **[2001] 4 सप्ल एससीआर 397** | **पर भरोसा** | **अनुच्छेद 15** |
| **(2002) 4 एससीसी 578** | **पर भरोसा** | **अनुच्छेद 16** |
| **[2012] 8 एससीआर 753** | **पर भरोसा** | **अनुच्छेद 17** |
| **[2017] 10 एससीआर 12** | **पर भरोसा** | **अनुच्छेद 18** |

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 1233/2021।

आपराधिक विविध याचिका-एम-32011/2018 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांक 06.02.2020 के निर्णय और आदेश से।

लखविंदर सिंह मान, डॉ. सुरेंद्र सिंह हुड्डा, अपीलार्थी के अधिवक्ता।

सुश्री जसप्रीत गोगिया, सुश्री मंदाकिनी सिंह, करणवीर गोगिया, सुश्री शिवांगी सिंघल, सुश्री आशिमा मंडला, प्रत्यर्थीओं के अधिवक्ता।

**न्यायालय का आदेश पारित किया गया**

**विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति**

1. इस अपील के माध्यम से, अपीलार्थी जसवंत सिंह ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा 2018 के आपराधिक विविध याचिका-एम-32011 (संचालन और रखरखाव) में पारित दिनांक 06.02.2020 के आदेश को रद्द करने के लिए अनुरोध किया है, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता[2] की धारा 406/420, पुलिस स्टेशन फतेहगढ़ साहिब, जिला फतेहगढ़ साहिब की धारा 29.10.2009 के तहत प्राथमिकी संख्या 179 से उत्पन्न आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता[1] की धारा 482 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। हालांकि, उच्च न्यायालय ने उक्त आदेश में निहित कुछ शर्तों के अधीन अपीलार्थी को जमानत दे दी। वर्तमान अपील को जन्म देने वाले तथ्यात्मक मैट्रिक्स का वर्णन नीचे किया गया हैः

2. प्रत्यर्थी संख्या.2 नसीब सिंह ( शिकायतकर्ता) ने दिनांक 18.08.2009 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला फतेहगढ़ साहिब को संबोधित एक आवेदन दायर किया जिसमें कहा गया था कि वह एक गुरमीत सिंह को जानता था, जो लोगों को विदेश भेजने के व्यवसाय में था। गुरमीत सिंह ने शिकायतकर्ता को आश्वासन दिया था कि उसके दो परिचित जसवंत सिंह और गुरप्रीत सिंह, जो पहले से ही इटली में बसे हुए हैं, उसके बेटे को नौकरी दिलाने और इटली में बसने में मदद करेंगे। उपरोक्त व्यवस्था के लिए गुरमीत सिंह ने कुल 7 लाख रुपये की मांग की। इसके अलावा, शिकायतकर्ता के अनुसार, 10.12.2008 को 4 लाख रुपये नकद में दिए गए और उसके बाद गुरमीत सिंह के पक्ष में पंजाब नेशनल बैंक, शाखा ए.एस. कॉलेज, खन्ना के दिनांक 18.02.2009 के चेक के माध्यम से 2 लाख रुपये का भुगतान किया गया। इसके तुरंत बाद शिकायतकर्ता के बेटे सरप्रीत सिंह को 19.02.2009 को इटली के लिए उड़ान में रखा गया। आगे आरोप है कि जसवंत सिंह और गुरप्रीत सिंह ने अपना वादा नहीं निभाया और उनके बेटे को परेशान किया। उन्होंने अपने वादे के अनुसार नौकरी की व्यवस्था नहीं की। उनके द्वारा दस्तावेज खो दिए गए थे और अंततः उनके बेटे को तीन/चार महीने बाद वापस लौटना पड़ा। शिकायत में आगे आरोप लगाया गया है कि नामित आरोपी ने रुपये की मांग की। 3 लाख और पैसे नहीं देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी। कि उसका बेटा मानसिक रूप से परेशान था और उसने अपने बेटे की यात्रा और इलाज में भी भारी राशि खर्च की है। इस प्रकार यह प्रार्थना की जाती है कि उचित कार्रवाई की जाए और शिकायतकर्ता के साथ न्याय किया जाए।

3. उक्त शिकायत की जांच आर्थिक अपराध शाखा, फतेहगढ़ साहिब के एएसआई मंजीत सिंह ने की थी। जांच में शिकायतकर्ता, उसके बेटे और गुरमीत सिंह के बयान दर्ज किए गए। इसके अलावा विदेश में बसे और शिकायत में नामित जसवंत सिंह और गुरप्रीत सिंह को भी अपने बयान जमा करने के लिए कहा गया, जिन्हें उन्होंने ई-मेल के माध्यम से अग्रेषित किया है। जांच अधिकारी ने इस मामले को धोखाधड़ी या विश्वासघात के किसी भी अपराध के रूप में नहीं पाया और तदनुसार, सिफारिश की कि आवेदन दिनांक 04.09.2009 के आदेश द्वारा प्रेषित किया जाए।

4. प्रभारी, आर्थिक अपराध शाखा, श्री गुरदीप सिंह ने भी सामग्री और रिकॉर्ड पर साक्ष्य की जांच की और एएसआई द्वारा 04.09.2009 को की गई सिफारिश से सहमति व्यक्त की। बस्सी पठाना के पुलिस उपाधीक्षक श्री राजविंदर सिंह ने यह भी सिफारिश की कि आवेदन पर किसी भी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है और इसे भेज दिया जा सकता है। हालांकि, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री कोस्ताव शर्मा ने स्टेशन हाउस अधिकारी को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का निर्देश दिया और तदनुसार 29.10.2009 को एक प्राथमिकी दर्ज की गई। मामले की आगे जांच की गई और सीआरपी सी की धारा 173 (2) के तहत एक पुलिस रिपोर्ट इस निष्कर्ष के साथ प्रस्तुत की गई कि केवल गुरमीत सिंह के खिलाफ एक परीक्षण योग्य मामला बनाया गया था, और अन्य दो नामित आरोपी जसवंत सिंह और गुरप्रीत सिंह के खिलाफ, क्योंकि किसी भी अपराध का कोई सबूत नहीं था, उन्हें बरी कर दिया गया।

5. इस बीच, शिकायतकर्ता नसीब सिंह का एक अतिरिक्त बयान 20.05.2010 को दर्ज किया गया था जिसमें उसने यह भी स्पष्ट रूप से कहा था कि उसने गुरमीत सिंह को राशि, 4 लाख रुपये नकद और 2 लाख रुपये चेक द्वारा दिए थे।

6. पुलिस रिपोर्ट और उसके साथ संलग्न सामग्री के आधार पर, फतेहगढ़ साहिब के मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने संज्ञान लिया और मामला संख्या सीएचआई/0600029/2010 दर्ज किया। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने 11.06.2013 को एक आवेदन दायर किया, जो कथित तौर पर धारा 319 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत था, जिसमें अपीलार्थी और अन्य सह-आरोपी गुरप्रीत सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत मुकदमे का सामना करने के लिए तलब करने का अनुरोध किया गया था। उसी दिन विचारण

न्यायालय ने दोनों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता  की धारा 420 के तहत तलब किया चूंकि अपीलार्थी इटली में था, इसलिए वह उपस्थित नहीं हुआ और तदनुसार 28.04.2014 को घोषित अपराधी घोषित किया गया। अपीलार्थी ने 28.04.2014 के आदेश को रद्द करने के लिए सितंबर, 2018 में उच्च न्यायालय के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत एक याचिका दायर की, जिसमें उसे भगोड़ा घोषित किया गया था।

7. इस बीच, शिकायतकर्ता नसीब सिंह ने मुख्य आरोपी गुरमीत सिंह के साथ समझौता किया और उन्होंने संयुक्त रूप से विचारण न्यायालय में आवेदन किया। विचारण न्यायालयने दिनांक 26.09.2014 के आदेश के माध्यम से पक्षों को आर्थिक महत्व के अपने मुद्दे को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने की अनुमति दी और तदनुसार अपराध को बढ़ा दिया। आरोपी गुरमीत सिंह के खिलाफ कार्यवाही समाप्त कर दी गई।

8. उच्च न्यायालय ने दिनांक 10.09.2018 के अंतरिम आदेश द्वारा विचारण न्यायालय के दिनांक 28.04.2014 के आदेश पर रोक लगा दी और अपीलार्थी को दो सप्ताह के भीतर विचारण न्यायालय के समक्ष समर्पण करने का निर्देश दिया और ऐसा करने पर विचारण न्यायालय को उसकी संतुष्टि के अधीन अंतरिम जमानत पर उसे रिहा करने का निर्देश दिया गया। इसके पश्चात् अपीलार्थी 27.10.2018 को विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ, जिसके पश्चात् विचारण न्यायालय ने उसे उसके जमानत बांड और जमानती बांड और 1 लाख रुपये की राशि पर अंतरिम जमानत में स्वीकार कर लिया।

9. उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित 482 दंड प्रक्रिया संहिता याचिका में, अपीलार्थी ने आपराधिक विविध याचिका संख्या 4655/2020 के रूप में पंजीकृत एक अन्य आवेदन दायर किया जिसमें उसने विभिन्न आधारों पर कार्यवाही को रद्द करने के लिए अनुरोध किया और विशेष रूप से कि शिकायतकर्ता ने पहले ही मुख्य आरोपी गुरमीत सिंह के साथ अपना स्कोर तय कर लिया था और उनके संयुक्त अनुरोध पर विचारण न्यायालय पहले ही गुरमीत सिंह को अपराध से समाप्त/बरी कर चुकी थी।

10. उच्च न्यायालय ने दिनांक 10.01.2020 के आदेश के माध्यम से अंतरिम जमानत देने वाले आदेश और सह-अभियुक्त के कंपाउंडिंग/बरी करने के आदेश और किसी भी अन्य सामग्री को रिकॉर्ड पर

रखने की अनुमति दी, जिसे अपीलार्थी दायर करना चाहता है। सभी प्रासंगिक सामग्री अपीलार्थी द्वारा दिनांक 04.02.2020 को एक आवेदन के माध्यम से उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गई थी।

11. उच्च न्यायालय ने विवादित फैसले में इस आधार पर कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया कि प्राथमिकी के अवलोकन से पता चलता है कि अपीलार्थी का नाम विशेष रूप से प्राथमिकी में उल्लिखित है और आपराधिक कृत्यों के लिए उसे जिम्मेदार ठहराया गया है। तथापि, उच्च न्यायालय ने दिनांक 28.04.2014 के आदेश के संबंध में अपीलार्थी को भगोड़ा अपराधी घोषित किया और उसे दो सप्ताह के भीतर विचारण न्यायालय के समक्ष समर्पण करने और नियमित जमानत के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया, जिसका निर्णय तीन शर्तों के अधीन दो सप्ताह के भीतर किया जाना था। उच्च न्यायालय के आदेश को पुनः प्रस्तुत करना सार्थक होगा, जो इस प्रकार हैः

> "वर्तमान याचिका दायर करने के माध्यम से, याचिकाकर्ता जसवंत सिंह, एक अनिवासी भारतीय, पुलिस स्टेशन फतेहगढ़ साहिब, जिला फतेहगढ़ साहिब में दर्ज भारतीय दंड संहिता की धारा 406/420 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 179 दिनांक 29.10.2009 को रद्द करने की मांग करता है। मैं एफ आई आर से गुज़रा हूँ उसके अवलोकन से पता चलता है कि याचिकाकर्ता का नाम विशेष रूप से प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लिखित है और आपराधिक कृत्यों के लिए उसे जिम्मेदार ठहराया गया है। इसलिए, प्रथम सूचना रिपोर्टको रद्द करने का कोई आधार नहीं है, क्योंकि उस संबंध में इस तरह के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया जाता है। दिनांक 28.4.2014 के आदेश के संबंध में, जिसे उसे घोषित अपराधी घोषित किया गया है, उसे दो सप्ताह के भीतर विचारण न्यायालय में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया जाता है। उसके ऐसा करने और नियमित जमानत के लिए आवेदन करने पर, उसी पर दो सप्ताह के भीतर निर्णय लिया जाए। तब तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। यह आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन हैः-
>
> i) याचिकाकर्ता विचारण न्यायालय में अपना पासपोर्ट सौंप देगा।
>
> ii) याचिकाकर्ता सुनवाई की प्रत्येक तिथि पर विचारण न्यायालय में पेश होगा।

iii) याचिकाकर्ता अभियोजन पक्ष के गवाहों को कोई धमकी या धमकी नहीं देगा।

याचिका का निपटारा कर दिया गया है "।

12. जब यह मामला 24.09.2021 को हमारे सामने आया, तो हमने नोटिस जारी किया था और आगे यह प्रावधान किया था कि अपीलार्थी के खिलाफ कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाए जाएंगे।

13. हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री लखविंदर सिंह मान और प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री जसप्रीत सिंह गोगिया को सुना है।

14. हमारे विचार में, वर्तमान उन सबसे उपयुक्त मामलों में से एक है जहां उच्च न्यायालय को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए था और अपीलार्थियों के खिलाफ कार्यवाही को बंद करके न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करना चाहिए था। यह भी आश्चर्य की बात है कि कैसे और किन परिस्थितियों में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत आवेदन दायर करने के बाद, अभियोजन पक्ष ने 26.09.2014 के बाद भी मामले को लड़ना जारी रखा, जब मुख्य आरोपी गुरमीत सिंह के खिलाफ मामले से पहले ही समझौता किया जा चुका था। जाहिरा तौर पर, पक्षकार विचारण न्यायालय या उच्च न्यायालय के समक्ष तथ्यों और सामग्री को सही ढंग से प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं थे, जो आगे की कार्यवाही किए बिना इस मामले को बंद कर सकता था।

15. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत शक्ति का प्रयोग किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने और न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए किया जाना है। इस न्यायालय ने बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग किसी दिए गए और योग्य मामले में किया जाना चाहिए जहां न्यायालय का समाधान हो कि ऐसी शक्ति का प्रयोग या तो ऐसी शक्ति के दुरुपयोग को रोकेगा या इस तरह के प्रयोग के परिणामस्वरूप न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित किया जाएगा। **एस. डब्ल्यू. पलानीटकर और अन्य बनाम बिहार राज्य के मामले में एक अन्य[3].** रिपोर्ट के अनुच्छेद 27 में न्यायमूर्ति शिवराज वी. पाटिल ने भी इसी तरह का जोर दिया है। उसी को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

"अनुच्छेद 27:

*..... जबकि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत शक्ति का प्रयोग करते समय उच्च न्यायालय को उस उद्देश्य और उद्देश्य को देखना होगा जिसके लिए उक्त प्रावधान के तहत ऐसी शक्ति उसे प्रदान की गई है। **दंड प्रक्रिया संहिता के तहत किसी भी आदेश को प्रभावी बनाने के लिए, या किसी भी अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए उच्च न्यायालय के पास अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग उपलब्ध है।** यह स्थिति होने के कारण, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत शक्ति का प्रयोग उपरोक्त निर्णयों के आलोक में उसी के दायरे और दायरे के अनुरूप होना चाहिए। उचित मामलों में, न्यायिक प्रक्रिया को हताश या प्रतिशोधी वादियों के हाथों में उत्पीड़न या उत्पीड़न का साधन बनने से रोकने के लिए, अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग न केवल वांछनीय है, बल्कि आवश्यक भी है, ताकि अदालत के न्यायिक मंच को किसी भी अप्रत्यक्ष उद्देश्य के लिए उपयोग करने की अनुमति न दी जा सके। जब कोई व्यक्ति प्रक्रिया के मुद्दे को रद्द करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाता है, तो उच्च न्यायालय को किसी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर सावधानी के साथ शक्तियों का प्रयोग करना पड़ता है, जैसा कि ऊपर कहा गया है, वास्तव में उस उद्देश्य और उद्देश्य को पूरा करने के लिए जिसके लिए उन्हें प्रदान किया गया है।"*

16. **पी. रामचंद्र राव बनाम कर्नाटक राज्य**[4] के मामले में सात-न्यायाधीशों की पीठ ने भी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत शक्ति के उपयोग के लिए समान सिद्धांत निर्धारित किए। ऐसे मामले में जहां न्यायालय आश्वस्त था कि किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने या न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए किसी भी कारण से ऐसी कवायद आवश्यक थी। **लाहोटी, न्यायमूर्ति**, ने अपने और **भरुचा, कादरी, संतोष हेगड़े, रूमा पाल और अरिजीत पसायत, न्यायमूर्ति** के लिए बोलते हुए अनुच्छेद 21 में निम्नानुसार कहाः

"अनुच्छेद 21"... उपयुक्त मामलों में, धारा 482 के अधीन उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति का उपयोग दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन किसी आदेश को प्रभावी बनाने के लिए या न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए किसी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए, या

अन्यथा, ऐसे आदेश देने के लिए किया जा सकता है, जो आवश्यक हो। शक्ति व्यापक है और यदि विवेकपूर्ण और सचेत रूप से प्रयोग किया जाता है, तो लगभग उन सभी स्थितियों का ध्यान रखा जा सकता है जहां कार्यवाही में देरी के कारण या किसी भी मुकदमे, जांच या कार्यवाही में उत्पीड़न या उत्पीड़न के समान किसी अन्य कारण से उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप आवश्यक हो जाता है। उपयुक्त मामलों में, उच्च न्यायालयों ने प्रथम सूचना रिपोर्ट और जांच को रद्द करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया है, और यदि कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग का मामला स्पष्ट रूप से बनाया गया था तो आपराधिक कार्यवाही को समाप्त कर दिया है। इस तरह की शक्ति का प्रयोग निश्चित रूप से संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार के उल्लंघन के मामले में किया जा सकता है। ए. आर. अंतुले मामले में संविधान पीठ ने उच्च न्यायालय में निहित ऐसी शक्ति का उल्लेख करते हुए (अपने निर्णय के अनुच्छेद 62 और 65 के अनुसार) यह अभिनिर्धारित किया कि यह स्पष्ट था कि अनुच्छेद 21 के अतिरिक्त भी न्यायालय आपराधिक मामलों या कार्यवाहियों में अनुचित या अत्यधिक विलम्ब का ध्यान रख सकते हैं यदि वे बहुत लंबे समय तक लंबित रहते हैं और उचित आदेश देकर, जब वे दमनकारी और अनुचित पाए जाते हैं तो आगे की कार्यवाहियों को समाप्त कर सकते हैं।

17. **ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य**[5] मामले में इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने में उच्च न्यायालय की शक्तियों के संबंध में उभरी कानूनी स्थिति को फिर से संक्षेप में प्रस्तुत किया**, आर.एम लोढ़ा, न्यायमूर्ति,** (जैसा कि वह तब थे) बेंच के लिए बोलते हुए, रिपोर्ट के अनुच्छेद 61 में स्पष्ट रूप से देखा गया कि अत्यधिक लिए एक अलग स्तर पर खड़े होते हैं, विशेष रूप से वाणिज्यिक, वित्तीय, व्यापारिक, नागरिक, साझेदारी या इस तरह से उत्पन्न होने वाले अपराध जैसे लेन-देन या दहेज आदि से संबंधित विवाह से उत्पन्न अपराध या पारिवारिक विवाद जहां गलती मूल रूप से निजी या व्यक्तिगत प्रकृति की है और पार्टियों ने अपने पूरे विवाद को सुलझा लिया और मुख्य रूप से नागरिक स्वाद वाले आपराधिक मामले रद्द करने के प्रयोजनों के है। अनुच्छेद 61 से प्रासंगिक उद्धरण नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

*"61. उपरोक्त चर्चा से जो स्थिति सामने आती है, उसका सारांश इस प्रकार दिया जा सकता हैः अपनी अंतर्निहित अधिकारिता का प्रयोग करते हुए किसी आपराधिक कार्यवाही या प्राथमिकी या शिकायत को रद्द करने में उच्च न्यायालय की शक्ति संहिता की धारा 320 के तहत अपराधों को चक्रवृद्धि करने के लिए आपराधिक न्यायालय को दी गई शक्ति से अलग और अलग है। अंतर्निहित शक्ति व्यापक है और इसकी कोई वैधानिक सीमा नहीं है, लेकिन इसका उपयोग ऐसी शक्ति में निहित दिशानिर्देश के अनुसार किया जाना चाहिए अर्थात्: (i) न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए, या (में) किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए। आपराधिक कार्यवाही या शिकायत या प्रथम सूचना रिपोर्टको रद्द करने की शक्ति का प्रयोग किन मामलों में किया जा सकता है जहां अपराधी और पीड़ित ने अपने विवाद का निपटारा कर लिया है, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा और कोई श्रेणी निर्धारित नहीं की जा सकती है। हालांकि, इस तरह की शक्ति का प्रयोग करने से पहले, उच्च न्यायालय को अपराध की प्रकृति और गंभीरता को ध्यान में रखना चाहिए। मानसिक भ्रष्टता या हत्या, बलात्कार, डकैती आदि जैसे जघन्य और गंभीर अपराध। भले ही पीड़ित या पीड़ित के परिवार और अपराधी ने विवाद सुलझा लिया हो, उसे उचित रूप से रद्द नहीं किया जा सकता है। इस तरह के अपराध निजी प्रकृति के नहीं होते हैं और समाज पर गंभीर प्रभाव डालते हैं। इसी तरह, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जैसे विशेष कानूनों के तहत अपराधों के संबंध में पीड़ित और अपराधी के बीच कोई समझौता या उस क्षमता में काम करते समय लोक सेवकों द्वारा किए गए अपराध आदि ऐसे अपराधों से जुड़ी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए किसी भी आधार का प्रावधान नहीं कर सकते हैं। लेकिन अत्यधिक और मुख्य रूप से सिविल फ्लेवर वाले आपराधिक मामले रद्द करने के उद्देश्यों के लिए एक अलग आधार पर खड़े होते हैं, विशेष रूप से वाणिज्यिक, वित्तीय, व्यापारिक, नागरिक, साझेदारी या इस तरह के लेनदेन या दहेज आदि से संबंधित विवाह से उत्पन्न होने वाले अपराध या पारिवारिक विवाद जहां गलत मूल रूप से निजी या व्यक्तिगत प्रकृति का है और पक्षों ने अपने पूरे विवाद का समाधान कर लिया है। इस श्रेणी के मामलों में, उच्च न्यायालय आपराधिक कार्यवाहियों को रद्द कर सकता है यदि उसके विचार में, अपराधी और पीड़ित के बीच समझौते के कारण, दोषसिद्धि की संभावना दूरस्थ और धूमिल है और आपराधिक मामले के जारी रहने से आरोपी को बहुत उत्पीड़न और पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ेगा और पीड़ित के साथ पूर्ण और पूर्ण निपटान और समझौते के बावजूद आपराधिक मामले को रद्द नहीं करने से उसके साथ अत्यधिक अन्याय होगा। दूसरे शब्दों में, उच्च न्यायालय को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या आपराधिक कार्यवाही जारी रखना*

*अनुचित होगा या न्याय के हित के विपरीत होगा या आपराधिक कार्यवाही जारी रखना पीड़ित और अपराधी के बीच समझौते और समझौते के बावजूद कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग के समान होगा और क्या न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए, यह उचित है कि आपराधिक मामले को समाप्त कर दिया जाए और यदि उपरोक्त प्रश्न (ओं) का उत्तर सकारात्मक है, तो उच्च न्यायालय आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर होगा।*

18. परबतभाई अहीर उर्फ **परबतभाई भीमसिंहभाई कर्मूर और अन्य बनाम राज्य गुजरात और अन्य**[6] वाले मामले में इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने पीठ की ओर से बोलते हुए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करने के लिए व्यापक सिद्धांत निर्धारित किए। न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ ने अनुच्छेद 16 और उप-अनुच्छेद में सिद्धांतों की गणना की। वही नीचे पुनः प्रस्तुत किए गए हैंः

*"16. इस विषय पर पूर्वजों से उभरने वाले व्यापक सिद्धांतों को निम्नलिखित प्रस्तावों में संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता हैः*

*16.1. धारा 482 किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने या न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों को संरक्षित करती है। यह प्रावधान नई शक्तियां प्रदान नहीं करता है। यह केवल उन शक्तियों को मान्यता देता है और संरक्षित करता है जो उच्च न्यायालय में निहित हैं।यह प्रावधान नई शक्तियां प्रदान नहीं करता है।*

*16.2. प्रथम सूचना रिपोर्ट या आपराधिक कार्यवाही को इस आधार पर रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय की अधिकारिता का आह्वान कि अपराधी और पीड़ित के बीच समझौता हो गया है, अपराध के चक्रवृद्धि के उद्देश्य से अधिकारिता के आह्वान के समान नहीं है। किसी अपराध को चक्रवृद्धि करते समय, न्यायालय की शक्ति दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 320 के प्रावधानों द्वारा शासित होती है। धारा 482 के तहत रद्द करने की शक्ति तब भी आकर्षित होती है जब अपराध गैर-कंपाउंडेबल हो।*

*16.3. यह राय बनाने में कि क्या किसी आपराधिक कार्यवाही या शिकायत को धारा 482 के तहत अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए रद्द किया जाना चाहिए, उच्च न्यायालय को यह मूल्यांकन करना चाहिए कि क्या न्याय के उद्देश्य अंतर्निहित शक्ति के प्रयोग को उचित ठहराएंगे।*

*16.4. हालांकि उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति का एक व्यापक दायरा और विस्तार है, इसका प्रयोग न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए या किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए किया जाना चाहिए।*

*16.5. इस बारे में निर्णय कि क्या शिकायत या प्रथम सूचना रिपोर्ट को इस आधार पर रद्द किया जाना चाहिए कि अपराधी और पीड़ित ने विवाद का नेतृत्व किया है, अंततः प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर घूमता है और सिद्धांतों का कोई विस्तृत विस्तार नहीं किया जा सकता है।*

*16.6. धारा 482 के तहत शक्ति के प्रयोग में और एक याचिका पर विचार करते समय कि विवाद का निपटारा कर दिया गया है, उच्च न्यायालय को अपराध की प्रकृति और गंभीरता को उचित रूप से ध्यान में रखना चाहिए। मानसिक भ्रष्टता या हत्या, बलात्कार और डकैती जैसे अपराधों से जुड़े जघन्य और गंभीर अपराधों को उचित रूप से रद्द नहीं किया जा सकता है, हालांकि पीड़ित या पीड़ित के परिवार ने विवाद को सुलझा लिया है। इस तरह के अपराध, वास्तव में, निजी प्रकृति के नहीं हैं, लेकिन समाज पर गंभीर प्रभाव डालते हैं। ऐसे मामलों में मुकदमा जारी रखने का निर्णय गंभीर अपराधों के लिए व्यक्तियों को दंडित करने में सार्वजनिक हित के प्रमुख तत्व पर आधारित है।*

*16.7. गंभीर अपराधों से अलग, ऐसे आपराधिक मामले हो सकते हैं जिनमें नागरिक विवाद का भारी या प्रमुख तत्व होता है। जहाँ तक रद्द करने की अंतर्निहित शक्ति के प्रयोग का संबंध है, वे एक अलग आधार पर खड़े हैं।*

*16.8. वाणिज्यिक, वित्तीय, व्यापारिक, साझेदारी या इसी तरह के लेन-देन से उत्पन्न होने वाले अपराधों से जुड़े आपराधिक मामलों को उचित परिस्थितियों में रद्द किया जा सकता है जहां पक्षों ने विवाद का निपटारा किया है।*

*16.9. ऐसे मामले में, उच्च न्यायालय आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर सकता है यदि विवादियों के बीच समझौते को देखते हुए, दोषसिद्धि की संभावना कम है और आपराधिक कार्यवाही जारी रखने से उत्पीड़न और पूर्वाग्रह पैदा होगा; और*

*16.10.* उपर्युक्त प्रस्ताव 16.8 और 16.9 में दिए गए सिद्धांत के लिए अभी भी एक अपवाद है। राज्य के वित्तीय और आर्थिक कल्याण से जुड़े आर्थिक अपराधों के निहितार्थ हैं जो निजी विवादियों के बीच केवल विवाद के क्षेत्र से परे हैं। जहां अपराधी वित्तीय या आर्थिक धोखाधड़ी या दुराचार जैसी गतिविधि में शामिल है, वहां उच्च न्यायालय को रद्द करने से इनकार करना उचित होगा। वित्तीय या आर्थिक प्रणाली पर शिकायत किए गए अधिनियम के परिणामों का संतुलन में वजन होगा।

19. तय किए गए कानूनी सिद्धांतों पर उपरोक्त चर्चा से, वर्तमान मामले के तथ्यों से यह स्पष्ट है कि न्यायालय की प्रक्रिया का स्पष्ट दुरुपयोग किया गया था और आगे यह कि न्यायालय का कर्तव्य न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करना था। हम निम्नलिखित कारणों से ऐसा कहते है :

(क.) प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों में काफी हद तक और मुख्य रूप से एक नागरिक स्वाद था क्योंकि शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि उसने अपने बेटे के लिए विदेश में रोजगार पाने के लिए मुख्य आरोपी गुरमीत सिंह को पैसे दिए थे। यदि गुरमीत सिंह असफल रहता तो शिकायतकर्ता वादा पूरा नहीं करने के लिए भुगतान की गई राशि की वसूली के लिए मुकदमा दायर कर सकता था।

(ख) शुरू में, जांच अधिकारी और आर्थिक शाखा के दो वरिष्ठ अधिकारियों ने पाया कि शिकायत में कोई सार नहीं है, यहां तक कि एक प्रथम दृष्टया परीक्षण योग्य मामला भी है और

इसलिए, इसे बंद करने की सिफारिश की गई थी। हालांकि, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज की गई और मामले की जांच की गई। कोई आपराधिक विश्वासघात नहीं पाया गया और केवल गुरमीत सिंह के खिलाफ धारा 420 भारतीय दंड संहिताके तहत आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।

(ग) शिकायतकर्ता नसीब सिंह ने स्पष्ट रूप से बयान दिया था कि उसने गुरमीत सिंह को 4 लाख रुपये नकद दिए थे और गुरमीत सिंह के पक्ष में 2 लाख रुपये का चेक भी दिया था जिसे उसने भुनाया था।

(घ) मुकदमे के दौरान वर्तमान अपीलार्थी और अन्य सह-अभियुक्त गुरप्रीत सिंह को अप्रैल 2014 में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 की शक्तियों का उपयोग करते हुए धारा 420 भारतीय दंड संहिताके तहत मुकदमा चलाने के लिए तलब किया गया था। यह ध्यान दिया जा सकता है कि इन दोनों अभियुक्तों के खिलाफ धोखाधड़ी का कोई विशिष्ट आरोप नहीं लगाया गया है क्योंकि वे दोनों इटली में विदेश में बसे हुए थे।

(ङ) शिकायतकर्ता नसीब सिंह ने मुख्य आरोपी गुरमीत सिंह के साथ समझौता किया जो कि मजिस्ट्रेट के समक्ष दायर किया गया था और इसे दिनांक 26.09.2014 के आदेश द्वारा स्वीकार कर लिया गया था और कथित अपराध वित्तीय लेनदेन का था। गुरमीत सिंह के खिलाफ कार्यवाही बंद कर दी गई।

(च) 2014 से ही, वर्तमान अपीलार्थी और अन्य सह-अभियुक्त गुरप्रीत सिंह, जो इटली में थे, को अदालत द्वारा तलब किया जा रहा था। अपीलार्थी को घोषित अपराधी घोषित किया गया। अपीलार्थी ने उसे घोषित अपराधी घोषित करने के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष आवेदन किया और कार्यवाही को रद्द करने के लिए 482 दंड प्रक्रिया

संहिता याचिका भी दायर की, जिसमें उसने 26.09.2014 का चक्रवृद्धि आदेश भी दायर किया।

(छ) उच्च न्यायालय ने केवल प्राथमिकी का अवलोकन किया और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अपीलार्थी का नाम प्राथमिकी में उल्लिखित किया गया था, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करने से इनकार कर दिया।

20. हमारे सुविचारित विचार में, उच्च न्यायालय ने प्रथमतः अभिलेख पर सम्पूर्ण सामग्री पर विचार न करने और इस तथ्य की सराहना न करने में त्रुटि की कि विवाद, यदि कोई था, तो सिविल प्रकृति का था और शिकायतकर्ता ने मुख्य अभियुक्त गुरमीत सिंह के साथ अपना मामला पहले ही सुलझा लिया था, जिसके विरुद्ध कार्यवाही 26.09.2014 तक बंद कर दी गई है। इस परिदृश्य में, अपीलार्थी के खिलाफ कार्यवाही जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है।

21. तथ्यों और कानून पर ऊपर दर्ज सभी कारणों के लिए दोनों वर्तमान अपीलों को अनुमति दी जानी चाहिए। प्रथम सूचना रिपोर्ट नं. 179 दिनांक 29.10.2009 , पी. एस. फतेहगढ़ साहिब और सभी परिणामी कार्यवाहियों से उद्भूत आक्षेपित कार्यवाहियां अपीलार्थी को खारिज कर देती हैं।

बिभूति भूषण बोस अपीलों की अनुमति दी गई।

1. आपराधिक प्रक्रिया संहिता

2. भारतीय दंड संहिता

3. (2002) 1 एससीसी 241

4. (2002) 4 एससीसी 578

5. (2012) 10 एससीसी 303

6. (2017) 9 एससीसी 641

**दिब्या कुमारी की देखरेख में, अधिवक्ता सरवजीत सिंह द्वारा अनुवादित।**